न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः—अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
44 / 2022	29.07.2022	23/08/2024

1. जगदीश पुत्र जयराम उम्र 45 साल
2. केदार पुत्र जयराम उम्र 37 साल
3. श्रीमति धनबाई पुत्री जयराम उम्र 42 साल
4. पार्वती पुत्री जयराम उम्र 39 साल
5. रूपन्ता पुत्री जयराम उम्र 33 साल
6. प्रियंका पुत्री जयराम उम्र 35 साल
7. श्रीमति भूली पत्नी स्व0 जयराम उम्र 80 साल

समस्त जातियान मीना निवासीयान अजनोटी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. फोरीलाल पुत्र फतेहसिंह उम्र 43 साल
2. रूपसिंह पुत्र फतेहसिंह उम्र 38 साल
3. श्रीमति रामकन्या पत्नी फतेहसिंह उम्र 60 साल
4. अमरराज पुत्र बाबूलाल उम्र 30 साल
5. श्रीमति परसी पत्नी स्व0 बाबूलाल उम्र 65 साल
6. कैलाशी पत्नी बन्शीलाल उम्र 60 साल
7. मोजीराम पुत्र नानगा उम्र 70 साल
8. रामकरण पुत्र भवरिया उम्र 50 साल
9. रामजीलाल पुत्र भवरिया उम्र 45 साल

समस्त जातियान मीना निवासीयान अजनोटी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

0 लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) आर0टी0ए0

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:33 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—

. श्री रामलखन माहुर एड0 प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राज0काश्त0अधिनियम में जरिये वकील पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 0.68 हैक0 राजस्व ग्राम अजनोटी तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। जिस पर मौके पर बंटवारा होकर आवेदकगण के हिस्से में आई है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने एवं कृषि यंत्र पैदावार को लाने ले जाने हेतु खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.24 हैक0 ग्राम अजनोटली तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। मेड को कई वर्षो से आम रास्ते में काम लेते चले आ रहे है इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 0.68 चाही पर आने जाने एवं कृषि यंत्र एवं पैदावार करने ले जाने हेतु निकटतम अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा ख के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयता पर हमेशा से अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.24 में स्थित मे पूर्व दिशा की मेड से होकर कृषि यंत्र, पैदावार लाते ले जाते रहे परन्तु अभी अप्रार्थीगण ने खम्बे गाडकर तार फेन्सिंग कर दी है रास्त बिलकुल बन्द कर दिया है तथा अन्य खातेदारान को सह खातेदार होन की वजह से पक्षकार बनाया है। सहखातेदार जनको पत्नी स्व0 भोरया की मृत्यु हुऐ करबी 10 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए पक्षकार नही बनाया है। इस कारण प्रार्थीगण को यह आवेदन करना पडा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1528 रकबा 0.68 हैक0 राजस्व ग्राम अजनोटी तहसील सवाई माधोपुर में पहुचने हेतु 10–12 फिट चौडा एवं 15 फिट लम्बा रास्ता जो ग्राम अजनोटी दक्षिण दिशा की और से आम रास्ता से खसरा नम्बर 1525 व खसरा नम्बर 1526(सिवायचक) में होकर उत्तर दिशा की तरफ से 10–12 फुट चौडा रास्ता 15 फिट लम्बा जो अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.24 हैक0 पूर्व दिशा की मेड में होकर चाहिए। जिसकी एवंज में जितनी जमीन अप्रार्थीगण की लम्बाई चौडाई में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:33 IST
Reason: SelfAttested

आती है उतनी जमीन आवेदकगण अप्रार्थीगण को देने तैयार है या फिर डीएलसी के हिसाब से जमीन विक्रय होती है उसका मूल्य देने के लिए तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। बाबजूद तामिल होने पर उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वाद पत्र में अंकित आराजी ख0न0 1528 रकबा 0.68 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 वर्ष 2020 से स्थाई के खाता संख्या 127 से केदार जगदीश पि0 जयराम हि0 21/64 अमित अशोक पि0 रामकेश केशन्ती काजल प्रीति मीना पुत्रीयान रामकेश हि0 3/64 हि0ब0 मुनिराज हरिमोहन पि0 रामलाल गन्दोडी पत्नी स्व0 रामलाल हि0 1/16 हि0ब0 चिरंजी बीरबल पि0 गोपी नाटी पुत्री गेन्दी पत्नी स्व0 गोपी हि0 1/8 हि0ब0 जगराम पि0 मनफूल हि0 1/16 बदरी मोजीराम रामफूल पि0 श्योपाल प्रसादी देवी पुत्री श्योपाल हि0 1/8 हि0ब0 राधाकिशन पुत्र गंगल्या हि0 1/8 विजयराम पि0 हरपाल हि0 1/8 जाति मीना सा0 देह के नाम खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम अजनोटी से आ0ख0न0 1525 गै0मु0 रास्ता व 1517 में होकर ख0न0 1527 गै0मु0 चाह के पास होकर ख0न0 1519 व 1520, 1521 के मध्य की मेड पर होकर आवागमन करते हैं। प्रार्थी के खेत ख0न0 1528 के निकटतम गै0मु0 रास्ता ख0न0 1525 ख0न0 1525,1526,1[illegible] उत्तरी मेड के पास से गुजरता है। प्रार्थी के खेत के पास से गु[illegible] वाला रास्ता ख0न0 1525,1526,1527 की उत्तरी मेड के पास से आवागमन करने में सुविधा रहेगी। प्रार्थी के अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित होगा। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा अन्य मौका स्थिति के अनुसार कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा मौका अनुसार कोई विकल्प नहीं है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:33 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते की लंबाई 5 मी0 व चौडाई 4 मी0 होगी। पक्षकार प्रतिकार की रकम पर सहमत होते है तो ख0न0 1527 के खातेदारान का रकबा 0.0020 है0 भूमि की डीएलसी दर से दुगुने से 5031/– रूपये प्रतिकार की रकम विनिश्चित होगी। दो अमरूदों के पेडो का अलग से निर्धारित होगा।

प्रकरण में वकील अप्रार्थी की बहस सूनी। वकील अप्रार्थी ने बहस करते हुऐ बताया कि जवाब प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य अंकित किये है वही मेरी बहस है। उक्त प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाने की कृपा करें।

वकील प्रार्थी की बहस सूनी एवं उनका मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 0.68 हैक्0 राजस्व ग्राम अजनोटी में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए ग्राम अजनोटी के खसरा नम्बर 1527 में 5 मीटर लम्बा तथा 4 मीटर चौडा रास्ता चाहते है जिसका समर्थन तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट से होता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर ही प्रार्थी की खातेदारी में पहुचने के लिए मौके की स्थिति के अनुसार नजदीक व सुविधाजनक होगा। अन्य जगह में रास्ता दिया जाना सम्भव नही होगा। उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत के पास से गुजरने वाला स्वीकृत कोई रास्ता नही है। अतः राजस्व ग्राम अजनोटी के खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.24 हैक्0 में लम्बाई 5 मीटर व चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0020 हैक्0 भूमि रास्त[illegible] की भूमि होने से प्रार्थीया को डी0एल0सी0 की दर से [illegible] होगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त [illegible] 251 ए आरटीएक्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीया के पास सा[illegible] निकालने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा अन्य कोई पेड या खचार्ज नही है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) का अवलोकन किया उक्त धारा के अनुसार " कोई अभिधारी, अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:33 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
माधोपुर

जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें उप–खण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जॉंच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –(यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।)" आवेदन को अभिधारी जो उसे भूमि को धारित करता है, दर्शित लाईन के सा–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे बिछाने एवं एक नया मार्ग तीस फुट से अधिक चौडा न हो बनाने एवं विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए अभिधारी को उसे उस भूमि का धारित करता है जिसमें से होकर पाईपलाईन बिछाने या नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जायेए ऐस संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जायें" उक्त रास्ते के संदर्भ में तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं परिशिष्ट ए में समर्थन किया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

प्रार्थीगण का 251–क राजस्थान काश्तक[illegible]नियम का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। [illegible] को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व [illegible]ब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1528 राजस्व ग्राम अजनोटी तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि तक आने जाने के लिए राजस्व ग्राम अजनोटी के खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.24 हैक्0 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:47:33 IST
Reason: SelfAttested

लम्बाई 5 मीटर व चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0020 हैक्0 भूमि रास्ता गै0मु0 रास्ता सिवाय चक बिना लगानी के नाम से दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करें। सारणी अनुसार रास्ते मे आने वाले ग्राम अजनोटी की सिंचित भूमि की डी0एल0सी0दर 4322799 लाख प्रति हैक्0 है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी के खाते मे जमा करानी होगी। खाते में जमा करवाकर अप्रार्थीगण के राजस्व नक्शे मे नजरी नक्शे अनुसार रास्ता कायम किया जावें।

ख. नं.	रकबा	लम्बाईxचौडाई (मीटर मे)	वह क्षेत्रफल जिसमें रास्ता दर्ज होगा	डीएलसी दर 4322799 का दुगनी राशि जो अप्रार्थीगणों के खाते में जमा होगी।	अप्रार्थीगण / खातेदारों का नाम जिसकों राशि खाते में जमा होगी।
1527	0.24 हैक्0	5 x 4 = 20	0.0020	16492	उक्त खसरा नम्बरो के खातेदारो के हिस्से

प्रार्थीगण को राजस्व ग्राम अजनोटी के खसरा नम्बर 1527 मे 5 मीटर लम्बा ग 4 मीटर चौडा रास्ता अप्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि में होने से डी0एल0सी0 दर का दुगना जमा होगा एवं प्रार्थीगण के आने जाने का रास्ता कायम कर रास्ता सुचारू करवाया जावे। निर्णय के साथ संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिये जाते है निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर